हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

सोमवार, 7 सितम्बर, 2020/16 भाद्रपद,1942 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **शोकोद्‌गार:**

स्वर्गीय श्री प्रणव मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, श्री चन्द्रवर्कर व श्री राकेश वर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 7 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4); और**

(2) **हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5) ।**

5. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-1/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-2/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2020 को प्रकाशित ।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री,** जे0 पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, सहायक निदेशक कारखाना(रसायन/यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-2/2019(स्था.) दिनांक 13.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.07.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1966 की धारा 19(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-5/2019(स्था0) दिनांक 20.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2020 को प्रकाशित ।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.डी.एन.-ख-ख(16)-11/2019 दिनांक 08.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(6) **श्री राकेश पठानिया, वन मन्त्री,** कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

6. अध्यादेश:

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री रमेश चंद ध्वाला, प्रस्ताव करेंगे कि:

"**रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर** यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 — यशपाल शर्मा,
दिनांक: 05 सितम्बर, 2020 — सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(नवम् सत्र)

सोमवार, 7 सितम्बर, 2020/ 16 भाद्रपद, 1942 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां

तारांकित प्रश्न

*2865	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को **मुख्य मंत्री** पढ़ा जाए।

अतारांकित प्रश्न

*1062	शिक्षा मंत्री को **वन मंत्री** पढ़ा जाए।

शिमला
दिनांकः 05.09.2020

यशपाल शर्मा,
सचिव।